फर्द अहकाम

पदमा पिता बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा

केस संख्या 11/20 सि

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	28/2/2	[illegible] / अभिभाषक [illegible] ने [illegible] / P.O. [illegible] [illegible] हैं। [illegible] अनुसार दि. 30/3/22 [illegible] हो। (रीडर)
	30/3/22	वकील वादी अ० 1 व प्रतिवादी वकील वादी द्वारा आज इस तरह प्रतीमवर्ष है। जिससे जाहिर होता है कि वकील वादी को इस वाद में चलना नहीं है। अतः वाद पत्र अदम तामील (O 9 R 5 CPC) में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान